

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालंदा - 2658/र०, पटना, दिनांक- 20-11-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-नारी परगना-पिलिच, थाना नं0-75 थाना-बिहार, जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नूरसराय से सिलाव पथ भाया बेगमपुर कि०मी० 0 से 21.85 कि०मी० तक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-केबई, थाना नं0-76 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमेवेश 7.2475 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 576, 585, 590, 591, 747, 753, 754, 756, 760, 761, 771, 772, 777, 779, 782, 784 एवं 805 सभी अंश तथा खेसरा सं०- 13 एवं 755 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- सीवाना मौजा-दरबारा थाना नं0-70

पूरब :- खेसरा सं०- 04, 07, 09, 11, 12, 27, 23, 35, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 576, 585, 591, 756, 760, 761, 771, 772, 778, 779, 782 एवं 784 सभी अंश तथा खेसरा सं०- 14 पूर्ण।

दक्षिण :- सीवाना मौजा-जगदीशपुर तियारी थाना नं0-81

पश्चिम :- खेसरा सं०-04, 07, 08 एवं 10 सभी अंश तथा सीवाना मौजा-केबई थाना नं0-76


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।


यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालंदा


समाहर्ता,
नालंदा



सरकार के अवर सचिव
नालंदा

ज्ञापांक 2658/र० डी0 एल0 ए0- नालंदा, दिनांक- 20-11-13/

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालंदा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :-अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

